

राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन

ममता गाबा

सहायक आचार्य

राजकीय महाविद्यालय, हिन्दूमलकोट

बिजौलिया आंदोलन : इसे भारत का “पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन” माना जाता है जो १८९७ से १९४७ तक चला। “प्रथम संगठित किसान आंदोलन” बिजौलिया ही था।

बिजौलिया एवं भेसरोडगढ़ के मध्य भाग को ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। बिजौलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है।

बिजौलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार द्वारा की गई। सांगा ने अशोक परमार को बिजौलिया / ऊपरमाला की जागीर भेंट की। यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था यहां धाकड़ जाति के लोग निवास करते थे।

यह आंदोलन जब प्रारंभ तब राव कृष्ण सिंह नया जागीरदार बना।

बिजौलिया किसान आंदोलन के कारण—

१. ८४ प्रकार के कर वसूलना
२. अधिक भू-राजस्व
३. लाटा कुंता व्यवस्था
४. बेगार प्रथम
५. चवंरी कर (किसानों की लड़कियों के विवाह के समय वसूल किया जाता था।
६. तलवार बंधाई कर— यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। लेकिन पृथ्वी सिंह ने यह किसानों से वसूलना प्रारंभ किया।

बिजौलिया आंदोलन तीन चरणों में बांटा जाता है
प्रथम चरण:— १८९७ में ऊपरमाल के किसान गंगाराम धाकड़ के मृत्युभोज पर गिरधारीपुरा में एकत्रित हुए।

किसानों की समस्या को लेकर बैरीसाल के नानजी व गोपाल के ठाकरी पटेल के महाराणा फतेह सिंह से मिले। महाराणा ने जांच के लिए हामीद हुसैन को बिजौलिया भेजा। लेकिन मेवाड़ राज्य द्वारा उन पर विशेष कार्यवाही नहीं हुई।

यह आंदोलन स्थानीय नेताओं ने चलाया।

किसान आंदोलन के जनक “साधु सीताराम दास” को माना जाता है। इनके अलावा फतहकरण चारण, ब्रह्मदेव आदि ने ठाकुर की अन्यायपूर्ण नीति का विरोध किया।

साधु सीताराम ने “ मित्र मण्डल ” की स्थापना की और किसानों में जागृति उत्पन्न की। १९१४ में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र केसरीसिंह जागीरदार बना।

सरकार ने “कोर्ट ऑफ वार्ड्स” बिठाया।

१९१६ में साधु सीताराम की अध्यक्षता में

“किसान पंच बोर्ड ” का गठन किया।

द्वितीय चरण: (१९१५ से १९२३ ई.) साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक १९१६ में बिजौलिया आंदोलन से जुड़े।

१९१७ में हरियाली अमावस्या के दिन १३ सदस्यीय बेरीसाल गांव में “ऊपरमाल का डंका” अखबार प्रकाशित किया।

१९१९ में वर्धा में महात्मा गाँधी के परामर्श से विजयसिंह पथिक, अर्जनलाल सेठी, केसरीसिंह बारहठ, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई।

१९२० में राजस्थान सेवा संघ को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इसने अजमेर से “नवीन राजस्थान” अखबार का प्रकाशन किया।

बिजौलिया की जांच के लिए दो जांच आयोग गठित किए गए :-

प्रथम जांच आयोग :- १९१९ में बिन्दुलाल भट्टाचार्य आयोग इसके अन्य सदस्य ठाकुर अमर सिंह एवं न्यायाधीश फजल अली थे।

द्वितीय जांच आयोग :- १९२० में बेदला के ठाकुर राजसिंह की अध्यक्षता में रामाकान्त मालवीय और तख्त सिंह मेहता।

१९२२ ई. में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण रियासत ने किसानों के साथ समझौता किया।

ए.जी.जी. राबर्ट हालैण्ड बिजौलिया आए और ठिकाने एवं किसानों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के पश्चात् ८४ में से ३५ लागू माफ कर दी गई।

१९२७ ई. में विजयसिंह पथिक बिजौलिया आंदोलन से अलग हो गए।

आंदोलन की तीसरा चरण (१९२३-१९४१ ई.)

पथिक जी के बाद इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया; जमनालाल बजाज एवं हरिभाऊ उपाध्याय ने सहायता की।

१९४१ ई. में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी. विजय राघवाचार्य बने। राजस्व विभाग के मंत्री

डॉ. मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया।

१९४१ ई. में माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन की मांगे मनवाकर बिजौलिया आंदोलन की समाप्त किया।

बेंगू आंदोलन (१९२१-२५ ई.)

बेंगू वर्तमान में चित्तोडगढ़ जिले में स्थित था। १९२१ में बेंगू किसान आंदोलन मेनाल (भीलवाड़ा) के भैरू कुण्ड स्थान से शुरू हुआ।

पथिक जी के आग्रह पर रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गोविन्दपुरा नामक स्थान पर १३ जुलाई १९२३ ई. में ट्रेच आयोग द्वारा किसानों पर लाठियां बरसाईं। जिसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए।

इसके पश्चात् आंदोलन का नेतृत्व विजयसिंह पथिक ने किया। इसी दौरान पथिक जी पकड़े गए और उन्हें ५ वर्ष की कैद हुई। २७ अप्रैल १९२७ ई. को जेल से मुक्त किए।

१९२५ में बेंगू के किसानों और राजस्थान सेवा संघ तथा बेंगू के ठाकुर अनूपसिंह के मध्य समझौता हुआ और यह आंदोलन समाप्त हो गया।

बूंदी किसान आंदोलन

बूंदी एवं बिजौलिया के बीच पथरीला एवं कठोर भाग बरड़ कहलाता था। यहां २५ प्रकार के कर थे। १९२२ में बरड़ किसान आंदोलन भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ।

बूंदी आंदोलन का नेतृत्व पं. नथलूराम शर्मा तथा स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व स्वामी नित्यानन्द ने किया।

महिलाओं का नेतृत्व अंजना चौधरी ने किया।

डाबी हत्याकाण्ड :- २ अप्रैल १९२३ में किसान सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने

गोली चलाई। जिसमें दो किसान शहीद हो गईं ।
नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर ।

माणिक्यलाल वर्मा ने इनकी याद में
“अर्जी” गीत लिखा।

अलवार किसान आंदोलन

बानसूर एवं थानागाजी के राजपूत किसानों
द्वारा आंदोलन किया गया था।

१९२४ में राजपूत व ब्राह्मण किसानों पर
४० प्रतिशत कर बढ़ा दिए। यह आंदोलन जंगली
सुअरों की समस्या को लेकर हुआ।

गंगासिंह, माधो सिंह, गोविंद सिंह और
अमर सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ।
परिणामस्वरूप अलवार के महाराजा ने सुअरों को
मारने की आज्ञा दे दी।

नीमूचाणा किसान आंदोलन

नीमूचाणा अलवार की बानसूर तहसील में
है। इस आंदोलन की समस्या माधवसिंह व गोविंद
सिंह ने १९२४ ई. में “ पुकार ” पुस्तक के
माध्यम से उठाई।

नीमूचाना हत्याकाण्ड: १४ मई १९२५ को इकट्ठे
हुए किसानों पर छज्जू सिंह कमाण्ड ने गोलियां
चला दी। जिसमें १०० लोग शहीद हुए।

महात्मा गाँधी जी ने “यंग इण्डिया” में इस
काण्ड को “दोहरी डायरशाही” की संज्ञा दी।

तरूण/नवीन समाचार, प्रताप ने नीमूचाणा
घटना को प्रकाशित किया।

मेव किसान आंदोलन

१९३२ ई. में मेव किसान आंदोलन मेवात
(अलवार, भरतपुर) में हुआ। इसका नेतृत्व
मोहम्मद अली ने किया।

१९३२ के अन्त में गुडगांव के मेव नेता
चौधरी यासीन ने नेतृत्व संभाला। मेव विद्रोह ने
साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया।

मारवाड़ किसान आंदोलन

१९२८-१९४० ई. में चन्दनमल बहड़ के
नेतृत्व में मण्डौर में हुआ।

मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा
का संयुक्त अधिवेशन १३ मार्च १९४७ को
डीडवाना के पास डाबड़ा गांव में हुआ।

इसमें भाग लेने वाला किसान सभा के
नेताओं को मारा पीटा गया। डाबड़ा में शरण देने
के कारण पन्नाराम चौधरी को मार दिया गया।
चुन्नीलाल शर्मा, रूघाराम, रामनारायण चौधरी,
जगू जाट शहीद हुए।

मुम्बई से प्रकाशित “वन्दे मातरम्”
जयपुर के लोकवाणी, जोधपुर के प्रजा सेवक,
दिल्ली के हिन्दुस्तान टाइम्स अखबारों ने इस
हत्याकाण्ड की निन्दा की।

बीकानेर किसान आंदोलन

१९३७ में बीकानेर में प्रथम किसान
आंदोलन जगजीवन चौधरी के नेतृत्व में हुआ।
१९४६ में चौधरी कुंभाराम के नेतृत्व में हुआ।

दूधवाखारा आंदोलन

यह क्षेत्र वर्तमान चुरू में है।

१९२२ में दूधवाखारा आंदोलन का नेतृत्व
मघाराम वैध, रघुवर दयाल तथा हनुमानसिंह आर्य
ने किया। खेतूबाई ने इस आंदोलन में महिलाओं
का नेतृत्व किया।

१९४४ ई. में जागीरदार ठाकुर सूरजमल
सिंह ने किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर
दिया।

हनुमान सिंह को रतनगढ़ में गिरफ्तार कर
उनके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया।

४ जनवरी १९४८ को उन्हें जेल से रिहा
कर दिया। अतः इस किसान आंदोलन का
निर्णायक अंत हो गया।

रायसिंहनगर की घटना :-

बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन रायसिंहनगर की घटना को लेकर हुआ।

प्रजा परिषद ने १७ जुलाई १९४६ ई. को सम्पूर्ण बीकानेर राज्य में किसान दिवस मनाया गया।

कांगड़ काण्ड :-

यह घटना १९४६ ई. में हुई। बीकानेर की रतनगढ़ तहसील के कांगड़ा गांव के जागीरदार ने १९४६ ई. में अकाल के बावजूद किसानों से कर वसूली का प्रयास किया। इसके विरुद्ध किसानों ने सफल आंदोलन किया।

संदर्भ ग्रंथ :-

१. Hooja Rima (2006) A History of Rajasthan (Rupa & Company)
२. राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आंदोलन डॉ. बृजकिशोर शर्मा (राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर)
३. उत्तरी राजस्थान में कृषक आंदोलन (डॉ. पेमारांम)
४. राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, पम्परा एवं विरासत (डॉ. हुकमचन्द्र जैन, डॉ. नारायणलाल माली) राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी
५. राजस्थान के किसान आंदोलन एवं शौर्य परम्परा (कक्षा-९)
६. Pande Ram (Agrarian Movement in Rajasthan) (University Publisher (India)
७. राजस्थान का इतिहास— शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी

